(भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 2017

अधिसूचना

का. आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्‌वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि मैसर्स एलपीजी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर ('एलइआरसी') (पैन सं. :-एएएएएल0454जी) नामक संगठन को केंद्र सरकार द्‌वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ को निर्धारण वर्ष 2017-18 और इससे आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामत:-

(i) अनुमोदित संगठन 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' 'एलइआरसी' का मुख्य उद्‌देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा।

(ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन 'एलइआरसी' के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्‌वारा प्राप्त राशि के संबंध में 'एलइआरसी' के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्‌वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन, 'एलइआरसी' के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, लेखा परीक्षक द्‌वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां नहीं रखता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं करता; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्यकलाप करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्यकलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलता तथा उनका पालन नहीं करता।

Rg

(रोहित गर्ग)

निदेशक (आइटीए-II)

अधिसूचना सं. 05 /2018

(फा. सं. 203/02/2017-आ.क.नि.-II)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आवेदक संगठन मैसर्स एलपीजी इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर ('एलइआरसी')।
2. आयकर आयुक्त (छूट), बेंगलुरु।
3. वेव मैनेजर, नई दिल्ली को, वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर डालने हेतु।
4. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)।
5. संबंधित फाइल।
6. गार्ड फाइल।

Rg

(रोहित गर्ग)

निदेशक (आइटीए-II)